न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **32/24 (वाद)**

GCMS No. : 2024/72

1. श्री रामेश्वर पिता रामप्रताप जी कुलमी पाटीदार, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) हाल–नायनखेड़ी, तहसील नीमच, जिला नीमच (मध्यप्रदेश)

............वादी

बनाम्

1. श्रीमती भंवरीबाई पुत्री हीरालाल जी पत्नी नानालाल जी कुलमी, उम्र वयस्क, निवासी पानमहूड़ी, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ (राज०)
2. गुलशन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर रमेश कुमार पिता बालचन्द जी पहलवानी, उम्र वयस्क, निवासी 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर (राज०) (ड्रोप–25/7/24)
3. श्रीमती प्रियंकार गुप्ता पत्नी राकेश गुप्ता, उम्र वयस्क, निवासी एफ 38, आरडेंडले, कन्नामंगला, व्हाइटफील्ड, दक्षिणी बंगलोर, (कनार्टक) (ड्रोप 25/7/21)
4. भानुसिंह पिता गोविन्दसिंह जी राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी राजेन्द्र नगर गवर्नमेन्ट कॉलेज के सामने प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ (राज०) (ड्रोप 25/7/24)
5. श्रीमती शांतिदेवी पत्नी शंकरलाल जी पाहुचा सिन्धी, उम्र वयस्क, निवासी उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०) (ड्रोप 25/7/24)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. पटवारी, पटवार हल्का डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. उप पंजीयक अधिकारी, मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 05.08.2024

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डबोक, पटवार हल्का डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) मे निम्न कृषि आराजियात स्थित है परिशिष्ट (अ) में वर्णित आराजी नम्बर 2709 रकबा 1.1655 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 40144/58275 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 6476/58275 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/10 हिस्सा अनुसार संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.07 17:04:55 IST
Reason: SelfAttested

रूप से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। परिशिष्ट (ब) में वर्णित आराजी नम्बर 2705 रकबा 0.3399 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 4/5 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है।

2. यहकि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के सेटलमेन्ट से पहले साबिक आराजी संख्या 1723/2 थे जो मुझ वादी के दादाजी गोपालजी के नाम दर्ज थी और उनके मरने के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। परन्तु सेटलमेन्ट के बाद नये बनाये गये इन दोनों आराजीयात में बिना किसी आदेश एवं अधिकार के सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने मुझ वादी के पिता एवं हिरालाल पिता गोपाल के नाम हटा दिये। उक्त तथ्य की जानकारी हमें होने पर मेरे पिता एवं हिरालाल जी ने संयुक्त रूप से माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली में अन्तर्गत धारा 88–188 रराज०टि०एक्ट के तहत दावा किया जिसे प्रकरण संख्या 203/07 रे.वाद पर पंजीबद्ध कर न्यायालय द्वारा सुनवाई प्रारम्भ की गई और पूर्ण सुनवाई कर दिनांक 28.08.2023 को गुणावगुण के आधार पर वादीगण (मेरे पिता व हिरालाल) के वाद को स्वीकार कर वाद वर्णित कृषि भूमि में मुझ वादी के पिता की दौराने वाद मृत्यु होने से उनके वारिसानों को संयुक्त रूप से 1/10 हिस्से का एवं हिरालाल (जिसकी वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है) को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीगण के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री जारी की गई और न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री अनुसार मेरे पिता के वारिसानों एवं हिरालाल की पुत्री का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में रेवेन्यु रेकार्ड में अमल दरामद किये गये।

3. यहकि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि के 1/10 हिस्से के स्वामी हीरालाल पुत्र गोपाल कुलमी पाटीदार थे और उक्त हक हिस्से की भूमि को लेकर दावे करने एवं भूमि की सार सम्भाल करने में सभी तरह की मदद एवं सहयोग मुझ वादी द्वारा किया गया था और आवश्यकतानुसार खर्चा भी मुझ वादी द्वारा ही किया गया था जिससे प्रसन्न होकर हीरालाल पुत्र गोपाल कुलमी पाटीदार ने उक्त भूमि में निहित अपने हक हिस्से को दिनांक 11–04–2012 को मुझ वादी को वसीयत में देकर मुझ वादी के [illegible] वसीयतनामा (अन्तिम इच्छा पत्र) लिखवाकर गवाहों की मौजूदगी में अपना अंगुष्ठ निशानी कर दी और गवाहों

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Dhakar
Date: 2024.08.07 17:04:55 IST
Reason: SelfAttested

की साखे लगवा दी। वसीयतकर्ता का देहावसान दिनांक 09–10–2012 को हो चुका है तथा वसीयतकर्ता का निधन होने के बाद उनकी उक्त भूमि मालिक हैसियत से मुझ वादी के कब्जे उपभोग में चली आ रही है और मैं वादी स्वामी की हैसियत से अपने परिवार सहित काबिज होकर अनवरत रूप से उपयोग उपभोग करता रहा हूँ जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नही है।

4. यहकि वसीयतकर्ता के एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 है जो दौराने दावा वसीयकर्ता के निधन होने से मामले में पक्षकार बनाई गई और वसीयकर्ता द्वारा मुझे वसीयत में दी गई भूमि न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खाते में दर्ज कर दी गई। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही रहा है, न ही कभी कब्जा उपभोग रहा हैं, न ही ये कभी इस जमीन पर आयी हैं। लेकिन वर्तमान में उक्त मेरे हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमियां जो मुझे वसीयत से प्राप्त हुई है जो प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम पर अंकित होने का नाजायज फायदा उठाते हुए लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर कुलिया कृषि भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रही है तथा मुझे धमकीयां दे रही है कि वो ऐसे लोगों को जमीन बेच देगी जो लाठी के दम पर मुझे बेदखल कर कब्जा कर लेगें। जबकि इसका उक्त जमीन से कभी कोई लेना देना नही रहा है और न ही वर्तमान में है। मुझ वादी ने वसीयत से प्राप्त हुई इस जमीन पर काफी रूपये खर्च करके एवं परिवार सहित मेहनत मजदूरी करके जमीन को विकसित कर आवादान योग्य की है जिससे कुलिया जमीन विकसित होकर निर्बाध रूप से मेरे कब्जे उपयोग उपभोग में चली आ रही है इसलिये मैं वादी वाद पत्र कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुलिया भूमि को वसीयतनामा के आधार पर अपने खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकर्ड में अंकित कराने का अधिकारी हूँ जिसके लिये यह वाद पत्र प्रस्तुत है।

5. यहकि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। क्योंकि वाद वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कुलिया हक हिस्से के मालिक हीरालाल पुत्र गोपाल जी थे जिन्होने अपने जीवनकाल में ही प्रसन्न होकर अपने हिस्से को अपनी इच्छानुसार मुझ वादी को वसीयत में देकर वसीयतनामा लिखवा दिया जिससे हीरालाल जी के निधन के पश्चात् मैं वादी वसीयत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram
Date: 2024.08.07 17:04:55 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर मालिक की हैसियत से उक्त हिस्सा भूमि का उपभोग उपभोग करता आ आ रहा हूँ और मैने इस जमीन पर काफी लागत लगाकर एवं परिवार सहित सख्त परिश्रम करके कुलिया जमीन को उपजाऊ बनाकर आवादान योग्य की गई है जिसका ज्ञान हर आम एवं खास को हैं। लेकिन वर्तमान में वसीयतकर्ता की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज चली आ रही है और प्रतिवादी संख्या 1 इसकी आड़ लेकर मुझे वसीयत से प्राप्त हुई मेरी उक्त भूमि से बेदखल करने एवं जबरन उक्त भूमि पर कब्जा कर कुलिया भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकीयां दे रही है। जबकि इसको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिये मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ कि प्रतिवादी संख्या 1 मुझ वादी को वसीयत से प्राप्त हुई मेरे कब्जे काश्त की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मेरे शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे में कोई दखलन्दजी नही करे, नुकसान नही पहुँचावे, बेदखल नही करे, प्रवेश नही करे प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम अंकित भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, मौके व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8 को पाबन्द किया जावें कि वे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि के संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नही करे, नामान्तरकरण नही खोले, रेकर्ड में किसी प्रकार का रद्दोबदल न स्वयं करे, न अन्य के मार्फत करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू मेरे पक्ष में है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने मुझे भारी अशोधनीय हानि होगी जिसका मूल्याकंन रूपयो पैसो में किया जाना असम्भव होगा।

6. यहकि बिनाय मुखासमात वाद दिनांक 01–02–2024 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने मुझे वसीयत में प्राप्त हुई जमीन उसके नाम पर दर्ज होने से मुझे जबरन बेदखल कर कब्जा करने एवं अपने नाम पर अंकित भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी और समझाईश करने पर भी नही मानी, तब से उत्पन्न हुआ और निरन्तर जारी हैं।

7. यहकि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 सहखातेदार है जिन्है हस्तगत वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार मुकदमा [illegible] किये गये हैं। इनसे वादीगण ने कोई दाद नही चाही गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Dampr
Date: 2024.08.07 17:04:55 IST
Reason: SelfAttested

8. अतः प्रार्थना है कि मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कुलिया कृषि भूमि का मुझ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुसार मेरे नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराये जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें। मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मुझ वादी को मेरे हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि (वसीयत से प्राप्त हूई भूमि) का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मेरे शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे में कोई दखलन्दजी नही करे, नुकसान नही पहुँचावे, बेदखल नही करे, प्रवेश नही करे, प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम अंकित भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, मौके व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें तथा प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8 के समक्ष कोई दस्तावेज / प्रार्थना पत्र नामान्तरकरण खुलाने हेतु अथवा पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो पंजियन नही करे, इन्तकाल नही खोले, न पास करे तथा रेवेन्यू रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखे। यदि दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 नाजायज तरीके से उक्त भूमि के रेकर्ड एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन करवा देवें तो पुनः वाद दायरी दिनांक की रेकर्ड एवं मौके की स्थिति रखाई जाने की डिक्री वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी फरमाई जावें।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 2 से 5 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व पूर्व में कार्यवाही ड्रोप की गई। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

10. अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री रामेश्वर, पीडब्ल्यू 2 श्री सत्यनारायण, पीडब्ल्यू 3 राजेश के पेश किये। वादी द्वारा दस्तावेज के रूप में नकल जमाबन्दी खाता सं. 912 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी खाता सं. 654 प्रदर्श 2, वसीयतनामा दिनांक 11.04.2012 प्रदर्श 3ए, न्यायालय हाजा के प्रकरण सं. 203/07 वाद प्रताप बनाम [illegible] निर्णय दिनांक 28.08.2023 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.07 17:04:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 4 पेश किये। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि प्रदर्श – 1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 912 पर दर्ज आराजी नम्बर 2709 रकबा 1.1655 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं. 1 भंवरीबाई पुत्री हीरालाल पत्नी नानालाल के नाम 1/10 हिस्से से दर्ज हैं। इसी प्रकार प्रदर्श 2 जमाबन्दी नकल खाता सं. 654 पर दर्ज आराजी नम्बर 2705 रकबा 0.3399 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 भंवरीबाई पुत्री हीरालाल पत्नी नानालाल के नाम 1/10 हिस्से से दर्ज हैं। उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम प्रदर्श 4 न्यायालय हाजा के प्रकरण सं. 203/07 वाद से अपने पिता हिरालाल की मृत्यु के कारण दर्ज हुई हैं जबकि दौरानें वाद ही प्रतिवादी सं. 1 के पिता हिरालाल के द्वारा वसीयतनामा प्रदर्श 3ए वादी के पक्ष में लिख दिया था जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया था कि वादग्रस्त भूमि में मेरा 1/10 हिस्सा दर्ज था किन्तु सेटलमेन्ट के बाद मेरा नाम हटा दिया गया। जिसको लेकर मैने व द्वितीय पक्षकार के पिता मावली एस.डी.ओ. कोर्ट मे दावा किया जिसके नम्बर 203/07 वाद हैं। वाद चल रहा है किन्तु मेरी उम्र काफी ज्यादा हो गई है। इस भूमि को हस्तान्तरित करने का मुझे पूरा पूरा अधिकार हैं। उक्त भूमि को लेकर दावें करने में, भूमि की सार सम्भाल करने में सब मदद रामेश्वर द्वारा ही की गई हैं। सब खर्चा भी आप द्वारा ही किया गया है जिससे प्रसन्न होकर मैं अपने हिस्से की उक्त भूमि की जायदाद की वसीयत निष्पादित कर रहा हूं। इस प्रकार उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम अपने पिता की हिस्सा भूमि के कारण ही दर्ज हुई थी जबकि उक्त भूमि की पूर्व में ही प्रतिवादी सं. 1 के पिता के द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत कर दी गई।

12. वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह प्रस्तुत किये जिसमें सभी गवाहों ने वसीयत को स्वीकार कर वसीयकर्ता के 1/10 हिस्से पर वादी का कब्जा होने का कथन किया है। वसीयत में गवाह श्री सत्यनारायण पिता कंवरलाल पाटीदार एवं श्री राजेश पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार के भी इस वाद में गवाह शपथ पत्र साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू. 2 एवं पीडब्ल्यू 3 के प्रस्तुत किये जिसमें भी दोनो ही गवाहों ने हिरालाल की वादी की सेवा चाकरी से प्रसन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram
Date: 2024.08.07 17:04:55 IST
Reason: SelfAttested

होकर वसीयत वादी के पक्ष में करने का कथन किया है तथा दोनो ही गवाहो द्वारा जिरह में यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त वसीयत हमारे सामने की है तथा हमारे गवाह के रूप में हस्ताक्षर भी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार क्षेत्र डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित आराजी नं. 2709 रकबा 1.1655 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 2705 रकबा 0.3399 हेक्टेयर भूमि में वसीयत नामा के आधार पर खातेदार भंवरीबाई पुत्री हिरालाल पत्नी नानालाल के 1/10 के बजाय वादी को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.07 17:04:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री रामेश्वर पिता रामप्रताप जी कुलमी पाटीदार, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) हाल–नायनखेड़ी, तहसील नीमच, जिला नीमच (मध्यप्रदेश) .....वादी

बनाम्

1. श्रीमती भंवरीबाई पुत्री हीरालाल जी पत्नी नानालाल जी कुलमी, उम्र वयस्क, निवासी पानमहूड़ी, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ (राज०)
2. गुलशन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर रमेश कुमार पिता बालचन्द जी पहलवानी, उम्र वयस्क, निवासी 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर (राज०) (ड्रोप–25/7/24)
3. श्रीमती प्रियंकार गुप्ता पत्नी राकेश गुप्ता, उम्र वयस्क, निवासी एफ 38, आरडेंडले, कन्नामंगला, व्हाइटफील्ड, दक्षिणी बंगलोर, (कनार्टक) (ड्रोप 25/7/21)
4. भानुसिंह पिता गोविन्दसिंह जी राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी राजेन्द्र नगर गवर्नमेन्ट कॉलेज के सामने प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ (राज०) (ड्रोप 25/7/24)
5. श्रीमती शांतिदेवी पत्नी शंकरलाल जी पाहुचा सिन्धी, उम्र वयस्क, निवासी उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०) (ड्रोप 25/7/24)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. पटवारी, पटवार हल्का डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. उप पंजीयक अधिकारी, मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 32/24 (वाद) GCMS No. – 2024/72

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मनसुख राम डामोर, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार क्षेत्र डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित आराजी नं. 2709 रकबा 1.1655 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 2705 रकबा 0.3399 हेक्टेयर भूमि में वसीयत नामा के आधार पर खातेदार भंवरीबाई पुत्री हिरालाल पत्नी नानालाल के 1/10 के बजाय वादी को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.08.2024 को जारी की गई।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.07 17:04:55 IST
Reason: SelfAttested